REGN NO 46818(M)
DATED 29.09.2014

Kendriya Vihar-II Apartment Owners' Association

Community Centre-1, Kendriya Vihar-II, Plot No.3, Sector-82, Noida-201304, U.P.
(Website: www.noidakv2.com ; E-mail: noidakv2@gmail.com/noidakv2@yahoo.com ; Tel: 0120-4984693)

President
SMT. KRISHNA TYAGI
9958241400
Vice President
M.L. SHARMA
9829176827
Secretary
RAMESH SHARMA
8130188906
Treasurer
C. B. PATEL
9968301618
Executive Members
H.M. DHYANI
9811767546
DINESH GUPTA
9968283648
T.C. KAIN
9868866535
V.S. CHAUHAN
7678330273
P.C. MAHARANA
9868103309
SMT. JAGRITI PANDA
9315613799

No.KV-II/Admin/2025-26/ 423 Dated: 12.02.2025

Notice:

It has been observed that false narration on temple issue is being circulated by few individuals. Just to apprise the residents of society the facts of the case along with supporting papers as Annexures are provided here:

1. Case number 1021 year 2023 in the honourable court of Civil Judge was filed by Shri Om Prakash Parmar & 152 members of Shiv Radha Krishan samiti putting a claim on Society Mandir. Many members who were declared as party to the above court case have given in writing that they are not supporting this case.

Annexure-I: ***The case papers claiming exclusive management right on the temple of the society. The relevant portions of the case are highlighted. It is to be noted that claim is on the entire temple complex not on part of it.***

Annexure-II: ***List of members who denied being party to this case.***

2. Based on the affidavit and the claim, the honourable civil judge has put a stay on temple issue till the matter is resolved.

Annexure-III: ***Stay Order***

3. The AOA approached honourable District Court for vacating the stay.

Annexure-IV: ***Submission of AOA in District Court***

4. The Honourable District court vacated the stay.

Annexure-V : ***Judgement of the District Court***

It is further informed to residents that even Honourable civil court has closed the case in July 2024 which got reopened by Shri Parmar & others. The case is still in Civil court.

R Sharma 12/2/25

BOM, AOA.

Kendriya Vihar-II Apartment Owner's Association KV II Sector 82 Noida

ANNEXURE-I 1

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) गौतमबुद्धनगर

मूलवाद संख्या- 1021 सन्-2023

1. शिवराधाकृष्णा सेवा समिति, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0), द्वारा अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार, पुत्र श्री शिव चरन परमार, निवासी- बी-269, पॉकेट-2, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)। उम्र -71 वर्ष

2. शिवजी महाराज विराजमान मन्दिर, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0), द्वारा ओम प्रकाश परमार, पुत्र श्री शिव चरन परमार, निवासी- बी-269, पॉकेट-2, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)। उम्र -71 वर्ष

..... वादीगण

बनाम

अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0), द्वारा चेयरमैन श्रीमती कृष्णा त्यागी।

..... प्रतिवादी

श्रीमान जी,

<u>वादीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं</u> : -

1. यह कि सेक्टर-82, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में केन्द्रीय विहार-2 के नाम से एक आवासीय सोसायटी बनी हुई है।

2. यह कि केन्द्रीय विहार, सोसायटी के कुछ सदस्यों ओम प्रकाश परमार आदि ने आपस में सहयोग करके तथा आपसी सहयोग में धन इकट्ठा करके सोसायटी के अन्दर एक मन्दिर का निर्माण वर्ष 2005 में कराया था, जिसमें शिवजी महाराज का एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। 4/17 3

3. यह कि ओम प्रकास परमार, अनीमेश, कुलदीप चन्द, आशीष कुमार नन्दी तथा कुछ अन्य व्यक्ति उक्त मन्दिर की देखभाल, रख-रखाव तथा सारी व्यवस्था करते रहे।

4. यह कि उक्त मन्दिर के प्रबन्ध हेतु वर्ष 2016 में वादी संख्या-01 शिवराधा कृष्णा सेवा समिति के नाम से एक सोसायटी का गठन हुआ, जो रजिस्ट्रार सोसायटी मेरठ के कार्यालय में पंजीकृत है और पंजीकरण संख्या-846 दिनांक 18.04.2016 है।

5. यह कि सोसायटी के नवीनीकरण दिनांक 18.04.2021 को आगामी 05 वर्ष के लिये हुआ और दिनांक 18.04.2026 तक प्रभावी है।

6. यह कि उक्त सोसायटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार तथा सचिव कुलदीप चन्द हैं।

7. यह कि आवासीय सोसायटी के बने मकानों तथा उनसे सम्बन्धित सम्पत्ति के रख-रखाव के लिये प्रतिवादी एसोसिएशन है, जिसका कार्यक्षेत्र सीमित है। मन्दिर से इस एसोसिएशन का कोई सम्बन्ध

1820

नहीं है। मन्दिर की व्यवस्था के लिये वादी संख्या-01 सोसायटी है, वहीं लगातार प्रबन्ध कर रही है।

8. यह कि माह जुलाई-2023 में बिना किसी कारण व अधिकार के प्रतिवादी द्वारा मन्दिर के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया, जिसे वादी सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा रोका गया।

9. यह कि प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा लगातार मन्दिर के प्रबन्धन में हस्तक्षेप करने की धमकी दी जा रही है और आपसी रजामन्दी से नहीं मान रहे हैं और दिनांक 26.08.2023 को फैसले से स्पष्ट इन्कार कर दिया है।

10. यह कि प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मन्दिर के प्रबन्धन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

11. यह कि प्रतिवादी बिना न्यायालय के आदेश के मानने को तैयार नहीं है, मजबूरन वादी यह वाद योजित कर रहा है।

12. यह कि वाद का कारण माह जुलाई-2023 में जब कि प्रतिवादी ने मन्दिर के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, बादहू दिनांक 26.08.2023 को जब कि आपसी फैसले से इनकार किया, सेक्टर-82, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ और न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

13. यह कि मन्दिर की सम्पत्ति का कोई मूल्य नहीं है। वाद का मूल्यांकन वादी के प्रभावित अधिकारों की अभ्यनमानित कीमत

6,00,000/- रूपये पर किया जाकर कानून अनुसार न्यायशुल्क अदा किया जाता है।

14. यह कि वादीगण निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते हैं :-

अ) यह कि सर्वकालीन निषेधज्ञा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारी केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में स्थित मन्दिर का प्रबन्धन वादी संख्या-01 समिति द्वारा किये जाने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

ब) यह कि खर्चा वाद प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे।

स) यह कि अन्य अनुतोष, जो न्यायालय की राय में उचित हो वह भी वादी को दिलाया जावे।

सत्यापन:-

हम वादीगण सत्यापित करते हैं कि वाद-पत्र की धारा- 01 ता 12 व 15 का कथन मेरे निजी ज्ञान में तथा धारा- 13 व 14 का कथन कानूनी सलाह पर सत्य एवं सही हैं।

सत्यापन स्थान : गौतमबुद्धनगर

दिनांक: 29-8-23

वादीगण

द्वारा अधिवक्ता:-

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) गौतमबुद्धनगर

मूलवाद संख्या- सन्-2023

शिवराधा कृष्णा सेवा समिति आदि

बनाम

अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन

शपथ-पत्र ओर से ओम प्रकाश परमार, पुत्र श्री शिव चरन परमार, निवासी- बी-269, पॉकेट-2, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0), अध्यक्ष शिवराधा कृष्णा सेवा समिति, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0) निम्न प्रकार है :-

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ:-

1. यह कि मेरा उपरोक्त लिखित नाम व पता सब सत्य व सही है तथा मैं होने वादी वाद-पत्र के सभी तथ्यों से पूर्ण परिचित हूँ और शपथ-पत्र देने में सक्षम हूँ।

2. यह कि सेक्टर-82, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में केन्द्रीय विहार-2 के नाम से एक आवासीय सोसायटी बनी हुई है।

3. यह कि केन्द्रीय विहार, सोसायटी के कुछ सदस्यों ओम प्रकाश परमार आदि ने आपस में सहयोग करके तथा आपसी सहयोग में धन इकट्ठा करके सोसायटी के अन्दर एक मन्दिर का निर्माण

वर्ष 2005 में कराया था, जिसमें शिवजी महाराज का एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं।

4. यह कि ओम प्रकार परमार, अनीमेश, कुलदीप चन्द, आशीष कुमार नन्दी तथा कुछ अन्य व्यक्ति उक्त मन्दिर की देखभाल, रख-रखाव तथा सारी व्यवस्था करते रहे।

5. यह कि उक्त मन्दिर के प्रबन्ध हेतु वर्ष 2016 में वादी संख्या-01 शिवराधा कृष्णा सेवा समिति के नाम से एक सोसायटी का गठन हुआ, जो रजिस्ट्रार सोसायटी मेरठ के कार्यालय में पंजीकृत है और पंजीकरण संख्या-846 दिनांक 18.04.2016 है।

6. यह कि सोसायटी के नवीनीकरण दिनांक 18.04.2021 को आगामी 05 वर्ष के लिये हुआ और दिनांक 18.04.2026 तक प्रभावी है।

7. यह कि उक्त सोसायटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार तथा सचिव कुलदीप चन्द हैं।

8. यह कि आवासीय सोसायटी के बने मकानों तथा उनसे सम्बन्धित सम्पत्ति के रख-रखाव के लिये प्रतिवादी एसोसिएशन है, जिसका कार्यक्षेत्र सीमित है। मन्दिर से इस एसोसिएशन का कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्दिर की व्यवस्था के लिये वादी संख्या-01 सोसायटी है, वहीं लगातार प्रबन्ध कर रही है।

Oath Commissioner

ओ.प्र.प.

9. यह कि माह जुलाई-2023 में बिना किसी कारण व अधिकार के प्रतिवादी द्वारा मन्दिर के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया, जिसे वादी सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा रोका गया।

10. यह कि प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा लगातार मन्दिर के प्रबन्धन में हस्तक्षेप करने की धमकी दी जा रही है और आपसी रजामन्दी से नहीं मान रहे हैं और दिनांक 26.08.2023 को फैसले से स्पष्ट इन्कार कर दिया है।

11. यह कि प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मन्दिर के प्रबन्धन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

12. यह कि प्रतिवादी बिना न्यायालय के आदेश के मानने को तैयार नहीं है, मजबूरन वादी यह वाद योजित कर रहा है।

13. यह कि उपरोक्त वाद वादीगण के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वास्ते स्थाई निषेधात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु योजित किया गया है, जिसमें वादीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रतिवादी मुठमर्द किस्म के व्यक्ति है, जो दौरान वाद अवैधानिक कार्य को अंजाम दे सकते हैं, जिससे वादीगण की वाद योजन की मंशा समाप्त हो जायेगी और वादीगण की अपार क्षति होगी। वादीगण का वाद प्रथम दृष्ट्या सिद्ध है और सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है। इस कारण वाद-पत्र एवं संलग्न शपथ-पत्र में दिये गए आधारों के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश

2/3/2024

के आदेश पारित किया जाकर प्रतिवादी को अवैधानिक कार्य से रोका जाना आवश्यक है।

14. यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश के आदेश इस आशय के पारित किये जाने न्यायहित में आवश्यक है कि प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारी केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में स्थित मन्दिर का प्रबन्धन वादी संख्या-01 समिति द्वारा किये जाने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप दौरान वाद करने से बाज रहें।

सत्यापनः-

मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र का पैरा 01 ता 14 का समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान में सब सच व सही है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

सत्यापन स्थानः गौतमबुद्धनगर

दिनांकः 29-8-23

शपथकर्ता

RAM PRAKASH SHARMA
ADVOCATE
Enrol. No. UP03379/2015
C.O.P. - 191785, Ch. No. 581-582,
Gali No. 12, Distt. Court Surajpur,
Gr. Noida, G.B. Nagar (U.P.)
Mob. No. 8447450060

Oath Commissioner

In the Court of ... S.D. G.B. Nagar
Verified by Sh/Smt ...
Identified by Sh ...
Date ... Time ...
Oath Commissioner G.B.N

VIVEK RAWAL
Advocate
UP2140/18

ANNEXURE-2

Declaration

Dated: 02/10/2024

It has been understood that regarding the ongoing Civil Court Case No 1021/2023 pertaining to Shiv Radha Krishna Sewa samiti verses Apartment Owners' Association (AOA), Kendriya Vihar-2, Sector-82, NOIDA , we would like to refer about our involvement as mentioned therein was unwarranted may be considered as "no involvement" as we are no way concerned on the case. We hereby declare that we are always here to abide by the decisions/resolutions emerged out of deliberations in all the General Body Meetings held so far. We would also like to declare here that we don't support the court case referred above.

S No.	Name	Address (Flat No./Type)	Signature
1	Om Prakash Parmar	B 269/II	
2	Animesh Roy	B 190/II	
3	Kuldeep Chand	B 265/II	
4	Ashish Kr Nandy	C 192/I	
5	Kingshuk Pandit	B 244/I	
6	Nalinakhya Bhattarjee	B 146/VII	
7	Sumit Mazumdar	B 175/I	
8	Subir Dutta Choudhary	B 243/I	
9	Asit Haldar	B 5/I	
10	B C Das	C 7/VI	
11	D K Mondal	C 150/I	
12	Dayanand Saha	C 126/VII	
13	Gautam Deb	B 67/II	
14	Gautam Haldar	C 59/VI	

15	Neereaj Manglik	C1 35/IV	
16	Subodh K Mandal	B 171/I	
17	Sankha Roy	B 29/VI	
18	Sukanta Gupta	B 134/VI	
19	Subhojeet Mukerjii	C 108/VI	
20	Tapan Sarkar	A 199/III	
21	R N Maji	C 96/I	
22	A R Das	C1 8/VII	
23	Anjan Sikdar	B 6/V	
24	Anupam Goswami	B 55/V	
25	A Sinha	B 160/II	
26	Anoop Mukherjee	B 114/VI	
27	Abhishek Chaterjee	C 178/VII	
28	Anurag Rana	B 98/VI	
29	Asish Barua	C 42/VI	
30	Bishram Singh	C 12/I	
31	Bijoy Das	C 57/VII	
32	Bhashwati Dev Purkayastha	C 99/VI	
33	Chaya Saha	B 173/I	
34	Chinmoy Kundu	B 13/VI	
35	Dr Anjana Roy	B 132/VI	
36	Dr G K Choudhary	B 98/VII	
37	Dr Nilratan Das	C 252/VII	
38	D C Naskar	A 161/III	

39	Dulal Chakraborty	C 120/VII	
40	Govinda Dutta	A 77/III	
41	Gautam Basu	C 28/VII	
42	Gautam Kundu	B 89/VI	
43	Hari Ballav Sharma	C 83/VII	
44	Himadri Chakraborty	VV, Sect 82	
45	Jaydev mitra	B 249/II	
46	J B Sen Gupta	C 2/VI	
47	Kashi Nath Ram	C 41/VI	
48	K G Saha	B 18/VI	
49	Kalpana Das	B 122/I	
50	K Ganesh	B 80/IV	
51	K K Rao	B 175/VI	
52	Kaushik Dutta	B 13/VI	
53	L B Chakraborty	A 46/III	
54	Manas Chatterjee	B 98/IV	
55	Mridul Moitra	B 240/I	
56	M K Choudhary	B 127/VII	
57	M K Ghosh	C 31/II	
58	Malay Bhattarya	C 61/II	
59	Nirmalya Mazumdar	C 151/VII	
60	Nishant Tyagi	C 48/VII	
61	N B Bardhan	C 165/VII	
62	Prabir Bhattacharjee	C 179/VII	
63	Partha Ghosal	C 259/VII	
64	P K Dhar	B 215/2	
65	Purbendu Chatterjee	C 14/II	

66	Partha Sarathi Das	SEC. 137	
67	R P Sen	B 165/I	
68	Ratan Mondal	B 15/VI	
69	R N Roy	B 48/I	
70	Ravindra Singh	C1 14/IV	
71	Rita Atorthy	B 105/II	
72	S Roy Choudhary	B 13/V	
73	Sanjib Singh	C1 13/VI	
74	S A Tripaty	B 268/II	
75	Sourav Dutta	LIG SEC 82	
76	Subodh Kamboj	B 45/VI	
77	Soumen Chakraboty	C1 3/VII	
78	Subrata Basak	B 37/VI	
79	Sonali Dutta	C 5/VI	
80	Shikha Haldar	B 76/1	
81	Samir Roy	A 114/III	
82	Subrata Nandy	B 9/II	
83	Suvravir Banerjee	B 64/VI	
84	Soumitra Basu	B 130/VII	
85	S P Dutta	B 236/I	
86	Sabita Seth	VV, SEC 82	
87	Subrata Mitra	B 103/I	
88	Sanjay Debnath	VV, SEC 82	
89	Tapas Kr Sinha	B 108/VI	
90	Tirthankar Mondal	B 106/IV	
91	Vikas Aggarwal	B 123/II	
92	Seuli Chatterjee	B 98/IV	

93	Ashim Banerjee	C1 2/VII	
94	Sugrim Kr Ram	B 40/VI	
95	P K Das	B 176/II	
96	S N S Yadav	C 85/II	
97	Mahesh Tripaty	C 66/I	
98	Pronay Das	C98/II	
99	Motilal P Surekha	C1 36/IV	
100	Shovit Sharma	B 140/II	
101	A Goyal	C 30/I	
102	Manabendra Das	B 270/II	
103	Pankaj Sharma	Logix BC 137	
104	Alok Das	Lotus Panache,110	
105	Sumita Sinha	B 108/VI	
106	Bapan Saha	Lotus Panache 110	
107	Raj Kr Bohra	C 202/VII	
108	Kalyan Ghosh	Silver City 93	
109	Gurmit Singh	C 6/I	
110	Sandita Bala	C 11/I	
111	Subhdip Dolul	C 103/VI	
112	Col Manoj Modak	VV, SEC-82	
113	D P Singh	B 64/V	
114	Ritu Kamboj	B 45/IV	
115	Arundhati Das	C 50/II	
116	Malati Naskar	B 1/IV	
117	Sujata Das	B 87/I	
118	M K Verma	B 7/II	
119	Saswati Choudhary	B 243/I	

120	Gopa Roy	B 29/VI	
121	Anita Mondal	B 171/I	
122	Shampa Nandi	B 9/II	
123	Shibani Sikdar	B 6/V	
124	Rita Dutta	B 236/I	
125	Joly Chatterjee	B 59/IV	
126	Pampa Saha	C 126/VII	
127	Munmun Sinha	B 160/II	
128	Papiya Bhattarjee	C 179/VII	
129	Sumita Haldar	C 59/VI	
130	Shefall Maji	C 96/I	
131	Shyama Charan Ghosh	B 41/VI	
132	Shisir Banerjee	A 6/IV	
133	Vijay Kr Verma	B 160/I	
134	Umta Mitra	A 202/III	
135	Nibha Bakshi	A 50/V	
136	Pravat Biswas	B 241/II	
137	Pravat Ranjan	C 101/VI	
138	R P Ganguly	B 153/VI	
139	Rakesh Garga	C 131/VI	
140	Ranjan Ghosh	C 91/VII	
141	Rita Pradhan	C 111/I	
142	S K Roy	C1 3/IV	
143	Sabyasachi Dutta	C 34/I	
144	Sandhya Roy Choudhary	C 90/VII	
145	Sushma Devi	B 45/IV	
146	Sharmila Mazumdar	B 175/1	
147	Ruma	B 64/VI	

148	Diya Chatterjee	C 178/VII	
149	Avijit Bose	C 74/VI	
150	Shanta Parmar	B 269/II	
151	Amrita Pandit	Logix BC 137	
152	Dipali Sarkar	A 199/III	Dipali Sarkar

End of page

President, AoA, KV-2, Sector-82, NOIDA

ANNEXURE-3

UPGB050014102023

न्यायालय सिविल जज (सी. डि.) गौतमबुद्धनगर

उपस्थित : जयहिंद कुमार सिंह (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

J.O.Code- UP 01982

सिविल वाद सं.1021/2023

शिव राधा कृष्णा सेवा समिति आदि बनाम अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन

दिनांक 05.10.2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विगत तिथि पर वादीगण के योग्य अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से प्रार्थना पत्र 6ग2 पर विस्तृत रूप से सुना जा चुका है। प्रतिवादी तामीला होने व अवसर दिये जाने के बावजूद न तो उपस्थित आए हैं और न ही कोई आपत्ति/लिखित बहस प्रस्तुत किए हैं।

निस्तारण प्रार्थना पत्र सं. 6ग2:-

प्रार्थना पत्र 6ग2 वादी द्वारा संक्षेपतः इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त वाद वादीगण के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वास्ते स्थाई निषेधात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु योजित किया गया है, जिसमें वादीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रतिवादी मुठमर्द किस्म के व्यक्ति है, जो दौरान वाद अवैधानिक कार्य को अंजाम दे सकते हैं, जिससे वादीगण की वाद योजन की मंशा समाप्त हो जायेगी और वादीगण की अपार क्षति होगी। वादीगण का वाद प्रथम दृष्ट्या सिद्ध है और सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है। इस कारण वाद-पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र में दिये गए आधारों के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश के आदेश पारित किया जाकर प्रतिवादी को अवैधानिक कार्य से रोके जाने की याचना की गई है।

वादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में सूची 9ग से एक किता सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र दिनांकित 18.03.2023 की छायाप्रति 10ग2/1, एक किता सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र दिनांकित 24.04.2016 की छायाप्रति 10ग2/2, एक किता स्मृति पत्र की छायाप्रति 10ग2/3 ता 9, एक किता लिस्ट सदस्यजन की छायाप्रति 10ग2/10 ता 12, एक किता पेन-कार्ड सोसाईटी 10ग2/13, एक किता आधार कार्ड ओमप्रकाश 10ग2/14 प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किए गए।

मामले में प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु प्रोसेस जारी की गयी। उपस्थित न आने के कारण दिनांक 26.09.2023 को तामीला अवधारित करते हुए प्रार्थना पत्र 6ग2 की आपत्ति का अवसर दिया गया, किन्तु प्रतिवादी न तो उपस्थित आए और न ही कोई कथन/आपत्ति आदि दिया गया है।

वादी के योग्य अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय को मुख्तया तीन बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला,
2. सुविधा का संतुलन,
3. अपूर्णनीय क्षति।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मय वादपत्र में यह बताया गया है कि केन्द्रीय विहार, सोसायटी के कुछ सदस्यों ओम प्रकाश परमार आदि ने आपस में सहयोग करके तथा आपसी सहयोग में धन इक्ट्ठा करके सोसायटी के अन्दर एक मन्दिर का निर्माण वर्ष 2005 में कराया था, जिसमें शिवजी महाराज का एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। उक्त मन्दिर के प्रबन्ध हेतु वर्ष 2016 में वादी संख्या - 01 शिवराधा कृष्णा सेवा समिति के नाम से एक सोसायटी का गठन हुआ, जो रजिस्ट्रार सोसायटी मेरठ के कार्यालय में पंजीकृत है और पंजीकरण संख्या-846 दिनांक 18.04.2016 है। सोसायटी के नवीनीकरण दिनांक 18.04.2021 की आगामी 05 वर्ष के लिये हुआ और दिनांक 18.04.2026 तक प्रभावी है। आवासीय सोसायटी के बने मकानों तथा उनसे सम्बन्धित सम्पत्ति के रख-रखाव के लिये प्रतिवादी एसोसिएशन है, जिसका कार्यक्षेत्र सीमित है। मन्दिर से इस एसोसिएशन का कोई सन्बन्ध नहीं है। मन्दिर की व्यवस्था के लिये वादी संख्या 01 सोसायटी है, वहीं लगातार प्रबन्ध कर रही है। प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा लगातार मन्दिर के प्रबन्धन में हस्तक्षेप करने की धमकी दी जा रही है। और आपसी रजामन्दी से नहीं मान रहे हैं और दिनांक 26.08. 2023 को फैसले से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। प्रतिवादी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मन्दिर के प्रबन्धन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

वादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में सूची 9 ग से एक किता सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र दिनांकित 18.03.2023 की छायाप्रति 10 ग 2/1, एक किता सोसाइटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र दिनांकित 24.04.2016 की छायाप्रति 10 ग 2/2, एक किता स्मृति पत्र की छायाप्रति 10 ग 2/3 ता 9, एक किता लिस्ट सदस्यजन की छायाप्रति 10 ग 2/10 ता 12, एक किता पेन-कार्ड सोसाईटी 10 ग 2/13, एक किता आधार कार्ड ओमप्रकाश 10 ग 2/14 प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है। प्रतिवादी न तो उपस्थित आए और न ही कोई स्थगन/आपत्ति आदि दिया गया है। वादी द्वारा दाखिल किए गए प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि वादी के पक्ष में केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर-82, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में स्थित मन्दिर पर प्रथम दृष्टया मामला प्रकट हो रहा है। यदि प्रश्नगत संपत्ति पर यथास्थिति का आदेश नहीं पारित किया जाता है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। ऐसे में मौके की नबैयत को सुरक्षित एवं संरक्षित करने की दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण में यथास्थिति का आदेश किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है। उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र 6 ग 2 निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 उपरोक्त परिचर्चा के अधीन निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक ~~04.12.2023~~ 27/10/2023 को पेश हो।

Singh
05.10.23
सिविल जज (सी.डि.),
गौतमबुद्धनगर।

Digitally signed by Jainendra Kumar Singh
Date: 2023.10.05 16:.42 IST
Reason: Document owner
Location: District and Sessions Court

ANNEXURE-4

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गौतम बुद्ध नगर

मूलवाद संख्या–1021 सन्–2023

शिव राधा कृष्णा सेवा समिति आदि

बनाम

अपार्टमेंट् ओनर्स एसोसिएशन

प्रतिवाद पत्र ओर से प्रतिवादी

1. यह कि वाद–पत्र की धारा–01 का कथन स्वीकार है।
2. यह कि वाद–पत्र की धारा–02 व 03 का कथन जिस प्रकार लिखित है, गलत है, स्वीकार नहीं है। मंदिर जिस भूमि पर बना है, उसका स्वामित्व, वादीगण का नहीं है। किसी भी व्यक्ति/संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे के स्वामित्व की भूमि पर कोई निर्माण कर, उसके प्रबन्ध व संचालन का अधिकार क्लेम कर सके।
3. यह कि वाद–पत्र की धारा–04 का कथन जिस प्रकार लिखित है, गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त सोसायटी पूर्णतः अवैध है और अपार्टमेंट ओनर्स ऐसारिएशन की अनुमति व स्वीकृति के बगैर पंजीकृत करायी गयी है, जबकि इस परिसर की भूमि नौएडा प्राधिकरण द्वारा C.G.E.W.H.O. को पट्टे पर दी गयी है और C.G.E.W.H.O. द्वारा Housing Complex केन्द्रीय विहार–II, Sector 82, Noida के प्रबन्ध के अधिकार केवल (Rights of Management) Apartment Owner's Association) Kendriya Vihar-II, Sector 82, Noida, Gautam Buddha Nagar को दिये गये हैं। इस परिसर में कोई भी निर्माण A.O.A. की अनुमति के बगैर नहीं कराया जा सकता है और किसी अवैध निर्माण हेतु, किसी समिति को गठित अथवा पंजीकृत/नवीनीकृत नहीं कराया जा सकता है।
4. यह कि वाद–पत्र की धारा–05 का कथन जिस प्रकार लिखित है, गलत है, स्वीकार नहीं है। वादी समिति का पंजीकरण व

नवीनीकरण, A.O.A., K.V.-II की अनुमति व सहमति के वगैर कराया गया है।

5. यह कि वाद–पत्र की धारा– 06 का कथन जिस प्रकार लिखित है, गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त सोसायटी का गठन पूर्णतः अवैध है।

6. यह कि वाद–पत्र की धारा– 07 का कथन पूर्णतः गलत है, स्वीकार नहीं है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, केन्द्रीय विहार–II, Sector 82, Noida के परिसर में बने मकानों व सम्पूर्ण निर्माणों के प्रंवन्ध व देखभाल का अधिकार व दायित्व एकमात्र प्रतिवादी का है। किसी अन्य समिति अथवा व्यक्ति को इस परिसर में कोई अवैध निर्माण करके, उसके प्रबन्ध के अधिकार को क्लेम करने का नहीं है।

7. यह कि वाद–पत्र की धारा–08 का कथन पूर्णतः गलत व असत्य है, स्वीकार नहीं है।

8. यह कि वाद–पत्र की धारा–09 का कथन जिस प्रकार लिखित है, गलत है, स्वीकार नहीं है।

9. यह कि वाद–पत्र की धारा–10 का कथन पूर्णतः गलत व असत्य है, स्वीकार नहीं है। इस परिसर में बने मंदिर के प्रवन्ध व संचालन का एकमात्र अधिकार, प्रतिवादी समिति का है।

10. यह कि वाद–पत्र की धारा– 11 का कथन पूर्णतः गलत व असत्य है, स्वीकार नहीं है। वादीगण को कोई अधिकार वर्तमान वाद योजित करने का नहीं है।

11. यह कि वाद–पत्र की धारा–12 का कथन पूर्णतः गलत व असत्य है, स्वीकार नहीं है। वादीगण को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है।

12. यह कि वाद–पत्र की धारा–13 का कथन पूर्णतः गलत व खिलाफ कानून है, स्वीकार नहीं है। वाद का मूल्यांकन वादीगण के प्रभावित अधिकारों पर किये जाने का कोई प्रावधान, कोर्टफीस एक्ट में नहीं है। सर्वकालीन निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादीगण को वाद का मूल्यांकन वादग्रस्त सम्पत्ति के वर्तमान अनुमानित वाजारू मूल्य पर किया जाना चाहिए।

13. यह कि वाद–पत्र की धारा–14 का कथन मय अनुतोष अ,ब,स गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतिरिक्त कथन

14. यह कि उपरोक्त वाद मिथ्या कथनों से योजित किया गया है और वादीगण ने सत्य तथ्य को माननीय न्यायालय से छिपाया है।

15. यह कि मंदिर, जिसके प्रबन्धकीय अधिकारों के विषय में वर्तमान वाद योजित किया गया है, केन्द्रीय विहार–II, सैक्टर–82 नौएडा के बिल्डिंग प्लॉन में नहीं है। वादीगण जो कि उक्त मंदिर के निर्माण का श्रेय लेना चाहते हैं, ने नौएडा प्राधिकरण अथवा C.G.E.W.H.O. अथवा A.O.A., K.V.-II अथवा जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर से कोई अनुमति उक्त मंदिर के निर्माण की नहीं ली।

16. यह कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी दिनांक 03.03.2020 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–10 के तहत एक नोटिस A.O.A., K.V.-II, Sector 82 Noida को भेजा गया था और इस नोटिस में यह कथन किया गया था कि उक्त स्थल पर प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं निर्देश का उल्लंघन किया गया है और अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया गया है। नोटिस में यह भी कथन किया गया है कि नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर उक्त परिसर से अनाधिकृत निर्माण हटाकर, विधिसंगत एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ठीक करें।

17. यह कि इस नोटिस के पूर्व भी दिनांक 05.02.2020 को भी एक नोटिस नौएडा प्राधिकरण द्वारा A.O.A., K.V.-II, Sector 82 Noida को भेजा गया था।

18. यह कि नोटिस दिनांकित 05.02.2020 का उत्तर तत्कालीन अध्यक्ष A.O.A., K.V.-II, Sector 82 Noida (श्री ओम प्रकाश परमार) नौएडा प्राधिकरण को भेजा गया था। उक्त उत्तर में श्री ओम प्रकाश परमार

द्वारा निम्नलिखित कथन किया गया था–"As far as management of temple is concerned, it is submitted that the temple is reportedly maintained and managed by large number of resident members in one small corner of the complex for the purpose of worship. This is purely a religious matter and related to faith of large number of people in revered Hindu Deities."

19. यह कि उपरोक्त नोटिस व श्री ओम प्रकाश परमार द्वारा भेजे गये उक्त जवाब से स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा भी उक्त नोटिस A.O.A., K.V.-II, Sector 82 Noida को भेजा गया था और A.O.A., K.V.-II, Sector 82 Noida द्वारा ही उक्त नोटिस का जवाब दिया गया था। उक्त नोटिस के जवाब में स्वयं श्री ओन प्रकाश परमार द्वारा स्वीकार किया गया है कि मंदिर का संचालन K.V.-II, Sector 82 Noida के सभी resident members द्वारा किया जाता है।

20. यह कि इससे स्पष्ट है कि दिनांक 03.03.2020 तक भी कोई समिति (वादी संख्या–1) मंदिर का प्रबन्ध व संचालन करने हेतु अस्तित्व में नहीं थी, न किसी समिति द्वारा कोई मैनेजमेंट मंदिर का किया जा रहा था।

21. यह कि उपरोक्त दूसरा मंदिर (राधा–कृष्ण मंदिर) बाद में बना है। सर्वप्रथम शिव मंदिर, वर्ष 2005 में बना और इसके पश्चात, एक छोटी झोंपड़ी में श्री राधा कृष्ण की मूर्तियाँ स्थापित की गयीं तथा बाद में इसमें एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया। वर्तमान में केन्द्रीय विहार–II, सैक्टर–82 नौएडा के परिसर में एक शिव मंदिर तथा एक राधा कृष्ण मंदिर स्थापित है। इन दोनों मंदिरों का प्रबन्ध संचालन दो अलग अलग समूहों द्वारा किया जा रहा है।

22. यह कि दिनांक 26.11.2006 को हुई A.O.A., KV-II की General Body meeting में भी इस सम्बन्ध में निम्नलिंखित प्रस्ताव पारित हुआ–The house was divided on this issue of construction of pujasthal. After lengthy discussions,

the house decided that, since members from Phase V are yet to take possession who also have a stake in the common property. "Status quo may be maintained at the present Puja Sthal and no further construction activity whatsoever may take palce there."

23. यह कि इनमें से एक मंदिर का प्रयोग, मंदिर परिसर में ऐसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो मंदिर में कतई उचित नहीं है और जिनके बारे में अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि कुछ व्यक्ति, जिनमें श्री ओम प्रकाश परमार भी शामिल है, ताश और कैरम आदि खेलते हैं, जिस कारण मंदिर परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है।

24. यह कि स्थल पर शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि A.O.A द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि मंदिर का परिसर आगे और न बढ़ाया जाये, क्योंकि वर्तमान में भी स्थल पर स्थिति यह है यदि परिसर में आज कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो फायर बिग्रेड, पानी भरने हेतु फायर टेंक तक नहीं पहुंच सकती। अग्निशमन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में भी A.O.A को नोटिस को भेजा जा चुका है और इस कारण जुर्माना भी लगाया जा चुका है।

25. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी दसवीं A.G.M. दिनांक 02.07.2023 को बुलाई गयी और A.O.A. के Board of Management को 10 सदस्यीय समिति का A.O.A. के सदस्यों में से चुनाव कराकर, मंदिर के प्रबन्ध व संचालन हेतु नियुक्त करने का निर्देष दिया।

26. यह कि सितम्बर, 2023 में Board of Management ने निर्वाचन प्रकिया प्रारम्भ की गयी, इस तथ्या को वादीगण ने माननीय न्यायालय से छिपाया है। इस निर्वाचन प्रकिया में वादी संख्या–1 समिति के सदस्यों ने भी अपना नॉमिनेशन किया और उपरोक्त

सदस्यों ने निर्वाचन प्रकिया में भाग लिया तथा निर्धारित समय–सीमा में Returning officer से अपना नाम वापस नहीं लिया। दिनांक 08.10.2023 को निर्वाचन प्रकिया सम्पन्न हुई और मंदिर समिति हेतु A.O.A. के सदस्यों में से 10 सदस्यों का चुनाव किया गया।

27. यह कि यद्यपि माननीय न्यायालय को निर्वाचन प्रकिया के विषय में वादीगण द्वारा सूचित नहीं किया गया था, फिर भी वादीगण द्वारा मतदाताओं को माननीय न्यायालय के आदेश का भय दिखाकर, चुनाव प्रकिया को बाधित करने का प्रयत्न किया गया और मतदाताओं को मतदान से दूर रहने हेतु वादीगण द्वारा मैसेजिज भेजे गये।

28. यह कि वादीगण का यह कथन कि A.O.A.K.V.-II को कोई अधिकार, मंदिर के प्रबन्ध संचालन में हस्तक्षेप करने का नहीं है, पूर्णतः गलत है। चूँकि मंदिर, A.O.A.,K.V.-II के प्रबन्ध वाले क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए A.O.A.K.V.-II को ही एकमात्र अधिकार मंदिर के प्रबन्ध व संचालन का है।

29. यह कि वादीगण का यह कथन भी पूर्णतः गलत व असत्य है कि उक्त मंदिर का निर्माण केन्द्रीय विहार सोसायटी के कुछ सदस्यों ओम प्रकाश परमार आदि ने आपस में धन इकटठा करके कराया था। सत्यता यह है कि मंदिर का निर्माण इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाले प्रत्येक सदस्य द्वारा किये गये दान और सहयोग से कराया गया है। वादीगण का कोई विधिक अधिकार इस मंदिर में नहीं है।

30. यह कि वादी संख्या–1 समिति को श्री ओम प्रकाश परमार द्वारा पंजीकृत करा लेने से मंदिर का प्रबन्ध व संचालन का वादीगण को एकमात्र अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उक्त मंदिर K.V.-II के समस्त निवासीगण का है।

31. यह कि यद्यपि A.O.A., K.V.-2 को प्रत्येक अधिकार, उपरोक्त मंदिरों के संचालन में हस्तक्षेप करने का है, लेकिन माननीय न्यायालय को

आदेश का अनुपालन करते हुए A.O.A., KV-II द्वारा अभी तक शिव राधा कृष्ण मंदिर के प्रबन्ध व संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

32. यह कि दिनांक 02.07.2023 को सर्वप्रथम A.G.B.M. ने बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया कि मंदिर के प्रबन्ध व संचालन हेतु एक 10 सदस्यीय समिति का चुनाव किया जाये। वादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर, स्टे आदेश प्राप्त किया गया है। श्री ओम प्रकाश परमार स्वयं भी इस A.G.B.M. में शामिल थे।

33. यह कि उक्त उपरोक्त मंदिर की स्थापना किये जाने से पूर्व The Place of Worship (Special Provisions) Act, 1991 के प्रावधानों के तहत मंदिर की स्थापना से पूर्व तथा पूर्व स्थापित मंदिर को बढ़ाये जाने के लिए जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी।

34. यह कि वादीगण का कथन है कि यदि A.O.A.,K.V.-II को मंदिर के मामलों और वादी संख्या–1 समिति के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गयी, तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी। वादीगण के इस कथन से स्वतः यह स्पष्ट होता है कि वादीगण ने मंदिर को अवैध धन अर्जित करने का स्रोत बनाया हुआ है।

35. यह कि A.O.A. को केन्द्रीय विहार– II, सैक्टर–82 नौएडा का प्रबन्ध अधिकार C.G.E.W.H.O. द्वारा सौंपा गया है जो कि एक Semi Goverment Organization है। केन्द्रीय विहार-II के मामलों मे A.O.A. का क्षेत्राधिकार C.G.E.W.H.O. द्वारा तय किया जाता है, न कि वादी समिति द्वारा।

36. यह कि उपरोक्त वाद सोसायटी की सार्वजनिक सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने का एकमात्र प्रयास है। वादी संख्या–1 समिति के अध्यक्ष, A.O.A., KV.-II के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और अधिकांश समय वह व उनके समर्थित व्यक्ति ही A.O.A., K.V-II के Board of

Management में पदासीन रहे हैं। श्री ओम प्रकाश परमार, दिनांक 13.09.2007 से दिनांक 18.11.2009, 06.05.2012–21.11.2014, 03.06.2019–09.08.2021 तक A.O.A., KV-II के अध्यक्ष रहे हैं।

37. यह कि वादी संख्या–1 समिति का पंजीकरण Dyputy Registrar Office of Society के कार्यालय में बिना किसी उचित पते के कराया गया है और पंजीकरण हेतु समिति का कोई पता नहीं दिया गया है।

38. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.10.2023 की आड़ में वादीगण द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति–मंदिर पर कब्जा करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।

39. यह कि केन्द्रीय विहार– II सैक्टर–82 नौएडा के परिसर में बने दोनों मंदिर के प्रबन्ध व संचालन का एकमात्र अधिकार नव निर्वाचित मंदिर समिति को है।

40. यह कि वादीगण द्वारा योजित वर्तमान वाद न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है।

41. यह कि वादीगण को कोई अधिकार केन्द्रीय विहार– II सैक्टर–82 नौएडा के परिसर में बने दोनों मंदिर के प्रबन्ध व संचालन का नहीं है।

42. यह कि शिव राधा कृष्णा सेवा समिति के सदस्यों की जो सूची, वादीगण द्वारा दाखिल की गयी है, उस सूची में 12 सदस्य, केन्द्रीय विहार–II, Sector 82, Noida के बाहर के निवासी हैं और इस सूची में सम्मिलित एक सदस्य के. गणेश, वर्तमान वाद योजित किये जाने से सहमत नहीं है और वे A.O.A., K.V.-II के सदस्यों द्वारा चुनी गयी मंदिर प्रबन्ध समिति में शामिल है।

43. यह कि वादी समिति का गठन व पंजीकरण, एक विशेष वर्ग के मतदाताओं को लुभाने और उन्हें एकजुट कर, अपना वोट बैंक बनाये रखने की नीयत से, श्री ओम प्रकाश परमार द्वारा किया गया है

और इसी नीयत से एक छोटे से पूजा स्थल की आड़ में अग्निशमन, उपकरणों की जगह को घेर कर, फायर बिग्रेड के मार्ग मे बाधा उत्पन्न कर, सम्पूर्ण परिसर के निवासियों की सुरक्षा को खतरे में डाला गया है।

44. यह कि वाद, धारा–34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है।

45. यह कि माननीय न्यायालय को उपरोक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

46. यह कि वादीगण द्वारा फर्जी वाद कारण गठित कर, वर्तमान वाद योजित किया है और मंदिर के प्रबन्ध व संचालन हेतु निर्वाचित 10 सदस्यीय समिति द्वारा मंदिर का प्रबन्ध व संचालन में बाधा उत्पन्न करने की नीयत से और A.O.A., KV.-II के अधिकारों में अतिकमण करने की नीयत से मौजूदा वाद योजित किया है। वादीगण को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है।

47. यह कि वाद व्यय सहित निरस्त होने योग्य है और प्रतिवादी, वादीगण से विशेष हर्जा अन्तर्गत धारा–35ए सी.पी.सी. प्राप्त करने का अधिकारी है।

सत्यापन–

मैं प्रतिवादी एसोसिएशन की अध्यक्ष कृष्णा त्यागी सत्यापित करती हूँ कि उपरोक्त प्रतिवाद पत्र की धारा–1 लगायत 11 तथा धारा–15 लगायत 40 का समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास में तथा अभिलेखों के आधार पर तथा धारा– 12 लगायत 14 तथा धारा–41 लगायत 45 का कथन मुझे मिली विधिक सलाह के आधार पर, जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करती हूँ, सत्य एवं सही है।

सत्यापित स्थान–
जनपद न्यायालय परिसर, गौतम बुद्ध नगर।
दिनांक–27.10.2023

PRESIDENT
KV II AOA
SEC-82, NOIDA

प्रतिवादी

द्वारा अध्यक्ष PRESIDENT
KV II AOA
SEC-82, NOIDA

द्वारा अधिवक्तागण

जितेन्द्र मोहन माथुर
9810650171

यशेन्द्र सिंह चौहान
9310650172

ANNEXURE-5

UPGB010119972023

IN THE COURT OF DISTRICT JUDGE, GAUTAMBUDDH NAGAR
PRESENT: AVNISH SAXENA, H.J.S.
J.O.CODE No. UP06527
Misc. Civil Appeal/47/2023

Apartment Owners Association, Kendriya Vihar 2, Sector 82 Noida, District Gautam Buddh Nagar, U.P Through Chairman Smt. Krishna Tyagi.

----------Appellant

Versus

1. Shiv Radha Krishna Seva Samiti, Kendriya Vihar -2, Sector 82 Noida, District Gautam Buddh Nagar, U.P Through Chairman Om Prakash Parmar son of Shiv Charan Parmar, Age About 71 years, Residence of B 269, Pocket -2, Kendriya Vihar 2, Sector 82, Noida District Gautam Buddh Nagar.
2. Shivji Maharaj Virajman Mandir, Through Chairman Om Prakash Parmar son of Shiv Charan Parmar, Age about 71 years, Residence of B - 269, Pocket 2, Kendriya Vihar 2 Sector 82, Noida District Gautam Buddh Nagar.

----------Opposite parties

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

JUDGMENT

1. The present miscellaneous civil appeal under Section 104 read with Order 43 Rule 1 (r) CPC has been preferred by defendant against order dated 05-10-2023 passed by the Court of Civil Judge (Senior Division) Gautam Buddh Nagar, in original suit no. 1021/2023, Shiv Radha Krishna Seva Samiti and Others Vs. Apartment owner Association, whereby the learned Court has allowed application of plaintiff/respondent filed under Order 39 Rule 1 and 2 CPC and granted the order of status quo on the suit property (Temple).

2. Heard the learned counsel for parties and perused record.

3. The plaintiff no. 1 'Shiv Radha Krishna Seva Samiti' through its President Om Prakash Parmar and plaintiff no. 2 'Shivji Maharaj Virajman Mandir' through Shri Om Prakash Parmar have instituted a suit for permanent injunction against Apartment Owners Association Kendriya Vihar 2 Sector 82 Noida, through Chairman Smt. Krishna Tyagi on 29-08-2023, with following prayer:-

I. By way of permanent prohibitory injunction, in favour of plaintiff, against defendant, to restrain the defendant from interfering in the Management of temple, of plaintiff no. 1.

II. The plaint has been filed with the averments that in Sector 82 Noida Gautam Buddh Nagar there is a Housing Society in the name of Kendriya Vihar 2. Some of the members of Kendriya Vihar Society under Om Prakash Parmar have collected money and got constructed a temple in the year of 2005 of Shivji Maharaj and Other Hindu deities. Om Prakash Parmar, Animesh, Kuldeep Chand, Ashish Kumar Nandi and some other persons used to maintain temple and carryout its

maintenance and management. In the year 2016 plaintiff no. 1 Shiv Radha Krishna Seva Samiti got registered a society for the management of the temple, which was registered in the Registrar of Societies Meerut with the registration no. 846, registered on 18-04-2016. This registration is further renewed on 18-04-2021 for a period of 5 year up to 18-04-2026. Shri Om Prakash Parmar is President of the society and Shri Kuldeep Chand is Secretary of the society.

III. It is also mentioned in the plaint that the defendant has got jurisdiction in respect to the houses of the members of the society, whereas, it has got no jurisdiction and power in respect to the management of temple. In the month of July 2023 the defendant tried to interfere in the management of the temple, which has been objected by the members of plaintiff society but the defendant Association is continuously interfering in the Management of temple and refused for an amicable solution of the dispute on 26-08-2023. Hence, the suit has been instituted alongwith an application under Order 39 Rule 1 and 2 CPC for restraining the defendant in the management of temple.

4. The appellant/defendant has appeared in the case and filed objection 24 Ga/2 wherein it is disclosed that the application is against law and not maintainable as the plaintiffs have got no power or jurisdiction to manage the affairs of temple. The suit has been filed with incorrect facts and against the CEGWHO or AOA Kendriya Vihar residential association. The other objection taken is in respect to illegal construction of temple and its management, against which the Noida Authority has issued notice. There is no point in reiterating the entire defence of the appellant.

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

5. The learned trial Court has considered the prima facie case, balance of convenience and irreparable loss in favour of plaintiffs and against defendant and passed the order of status quo over the suit property.

6. It has been argued by the learned counsel for appellant that the plaintiff society has been registered in the year of 2016, whereas the temple has been constructed in the year of 2005. It is further stated that that the Noida Development Authority has issued a notice in respect to construction of temple and the present plaintiff society has been formed for illegally taking the management of the temple in their hand. It is further submitted that two societies can not be operative in one is sphere, that is the Kendriya Vihar Housing Society or the Housing Owner Association is the only body permitted for the up keep and maintenance of the properties of the society. The learned counsel for appellant has further submitted that the court has wrongly appreciated the fact of the case and passed impugned order, which is liable to be set aside.

7. Per contra, the learned counsel for opposite party has submitted that the opposite party is a society registered under the Societies Act and in view of the objects of the society the plaintiff is carrying the management of the temple, which has been protected by the learned Court through the order of injunction, hence, the same is liable to be affirmed.

8. Considering the rival submission made by the parties this Court is of the view that being the representative suit filed by the opposite party for carrying out the management of Shiv Ji Maharaj Virajman Mandir by Shiv Radha Krishna Seva Samiti, the first and foremost point to

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

consider is the right of the plaintiff over the suit property and later the three cardinals points of prima facie case, balance of convenience hence and irreparable loss is to be considered.

9. Section 38 (1) of the Specific Relief Act provides that a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favour. This show that there must be an existing obligation lying with the plaintiff, which has been invaded or threaten to be invaded under section 38 (3) of the Specific Relief Act by the defendant, which is to be protected by the Court. In the present matter the right over the suit property is required to be considered by the Court first and than that right requires to be protected.

10. In the present matter Shiv Radha Krishna Seva Samiti is a legal entity to look into the management of ShivJi Maharaj Virajman Mandir. This plaint averment is all about maintenance and management of temple by the plaintiff society.

11. Now the point of concern is whether the plaintiff society, which has been registered under the Societies Registration Act 1860 is empowered to maintain and manage the temple.

12. In this regard it would be expedient to consider the preamble, Section 5 and Section 20 of Societies Registration Act which is reiterated underneath -

> **"Preamble** – whereas it is expedient that provision should be made for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science, or the fine arts, or for the diffusion of useful knowledge, the diffusion of political education or for charitable purposes."
>
> **"Section 5 Property of society how vested-** The property, movable and immovable, belonging to a society registered under this Act, if not vested in trustees, shall be deemed to

be vested, for the time being, in the governing body of such society, and in all proceedings, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such society by their proper title."

"Section 20 To what Societies Act applies -The following Societies may be registered under this Act :-

Charitable Societies, the military orphan funds or societies established at the several presidencies of India, Societies established for the promotion of science, literature or the fine arts, for instruction, the diffusion of useful knowledge, [the diffusion of political education], the foundation or maintenance of libraries or reading rooms for general use among the members or open to the public, or public museums and galleries of paintings and other words of art, collections of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs."

13. The above provision of law clarifies that purely Religious Acts does not the cover within the perview of the Societies Registration Act. The memorandum of the society and its regulation also does not contain the purely religious act for which Shiv Radha Krishna Seva Samiti has been registered. It is also pertinent to point out here that the temple has been constructed in the year of 2005 and the society has been registered in the year of 2016 but the management of temple is not shown to be the work of the society in the regulation of society.

14. Therefore, without entering into the merit of prima facie case, balance of convenience and irreparable of loss, this Court is of the view that the learned trial Court has not considered the rights of the plaintiff to manage the property, by the plaintiff, hence, the impugned order of status quo is bad in the eye of law and liable to be set aside.

ORDER

The appeal is allowed. No order as to cost.

The order dated 05-10-2023 passed by the Court of Civil Judge (Senior Division) Gautam Buddh Nagar, in original suit no. 1021/2023, Shiv Radha Krishna Seva Samiti and Others Vs. Apartment owner Association, is set aside.

Office is directed to return the lower Court record forthwith.

15.04.2024

Avnish Saxena
District Judge
Gautambuddh Nagar

This judgment signed, dated and pronounced in the open court today.

15.04.2024

Avnish Saxena
District Judge
Gautambuddh Nagar

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"